केवल राजकीय/न्यायालय के उपयोग हेतु निःशुल्क प्रतिलिपि

कार्यालय सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 340/2016
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र पूरणमल, जाति–रैंगर, निवासी–भांकरोटा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. मूलचन्द पुत्र पूरणमल, जाति–रैंगर, निवासी–भांकरोटा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र पूरणमल, जाति–रैंगर, निवासी–भांकरोटा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय

दिनांक : 31.10.2017

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के द्वारा रेफरेन्स/एल.आर./6436/2008/जयपुर उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2015 के निर्देशों की पालना में अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी मूलचन्द एवं बाबूलाल व्यक्तिगत रूप से स्वयं हाजिर हुए परन्तु अप्रार्थी रामेश्वर बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिया गया इसके बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 708

सत्य-प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–177 पूरणमल पुत्र श्री देवाराम के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर नामान्तरकरण सं0–353 दिनांक 25.09.2004 द्वारा विरासत का नामान्तरकरण रामेश्वर प्रसाद, मूलचन्द, बाबूलाल पुत्र पूरणमल, जाति–रैगर के नाम गैर–खातेदारी दर्ज की गई हैं व वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 1570 रकबा 0.25 है0 दर्ज होकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नला आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है, जिसमें से 1 बीघा पूरणमल पुत्र श्री देवाराम जाति–रैगर के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–177 पूरणमल के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर जरिये नामान्तरकरण सं0–353 वारिसान के नाम गैर–खातेदारी दर्ज हैं। इसके पश्चात् भू–प्रबन्ध होने पर वर्तमान में खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.25 है0 दर्ज राजस्व अभिलेख हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 708 रकबा 65 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा वाके ग्राम भांकरोटा पूरणमल पुत्र श्री देवाराम को आवंटन किया गया हैं। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0–177

सत्य-प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी गैर–मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 07.06.1972 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नला की आराजी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा में से आवंटित की गई 1 बीधा आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.25 है0 हैं, को वापिस सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकिन नला दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है, इसके पश्चात् आराजी ख0नं0 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा दर्ज होकर 1 बीधा पूरणमल पुत्र श्री देवाराम, जाति–रैगर के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–177 पूरणमल के नाम गैर खातेदारी व नामान्तरकरण सं0–353 के फलस्वरूप वारिसान के नाम तथा नया भू–प्रबन्ध होने के पश्चात् आवंटित खसरे के नये नम्बर 1570 रकबा 0.25 है0 दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा

सत्य-प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन तिथि को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी का आवंटन पूरणमल पुत्र श्री देवाराम, जाति–रैगर को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–177 ग्राम–भांकरोटा से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी में निजी गैर–खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नला भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों मे अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त

सत्य-प्रतिलिपि

(9)

आराजी ख0न0 आराजी खं0नं0 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा में से 1 बीधा की गई आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.25 है0 निजी गैर–खातेदारी में दर्ज हैं, को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिना लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 23.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

सत्य-प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर